



प्रेषक,

रविनाथ रामन,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड
महोदय,

देहरादून : दिनांक : 12 जुलाई, 2017

विश्वविद्यालय के पत्र संख्या 748/SDSUV/Affi-2014-15 दिनांक 09.09.2014 के क्रम में शासन द्वारा पत्रावली संख्या 03 (47)/14 (3)372)XXIV(N)/14 पर प्राप्त संस्तुति व पत्र संख्या 721/SDSUV/Affi/2017 दिनांक 29.06.2017 के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० राज्यपाल / कुलाधिपति जी द्वारा श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 (यथा संशोधित) के अध्याय-6 की धारा-33 (1) के अधीन निम्न संस्थान को स्तम्भ-3 में वर्णित पाठ्यक्रमों में उसके सम्मुख अंकित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ-5 में इंगित अवधि के लिए अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान कर दी गयी है।

क्र० सं०	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1	मैथोडिस्ट गर्ल्स डिग्री कॉलेज, रुड़की जनपद हरिद्वार	1-बी०एससी० (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित)	प्रत्येक विषय में 60-60 सीट के दो सैक्शन	शैक्षिक सत्र 2014-15 हेतु
		2-बी०एससी० (जन्तु विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान)	प्रत्येक विषय में 60-60 सीट	

- संस्थान को उक्त सम्बद्धता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जा रही है कि भविष्य में संस्थान फ़ैकल्टी एवं पुस्तकालय के मानकों का पूर्ण रूप से अनुपालन करेगा, अन्यथा संस्थान की अग्रिम सम्बद्धता पर विचार नहीं किया जायेगा।
- संस्थान को अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का एक प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा, तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
- संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट तैयार की जायेगी, जिसमें संचालित पाठ्यक्रम, अवस्थापना सुविधाएँ, शैक्षिक-शिक्षणेत्तर फ़ैकल्टी की शैक्षिक अर्हता, उत्तीर्ण परीक्षाफल एवं प्राप्तांक प्रतिशत, फ़ैकल्टी अंकपत्रों की प्रतियाँ, फ़ैकल्टी की अद्यतन फोटो सहित फ़ैकल्टी को मासिक वेतन भुगतान का विवरण अपलोड किया जायेगा।
- छात्रों के प्रवेश से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय / शासन द्वारा निर्धारित मानकानुसार अर्ह फ़ैकल्टी की तैनाती कर ली गई है। उक्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एवं निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया जायेगा। यदि संस्थान में मानकानुसार अर्ह फ़ैकल्टी तैनात नहीं पाई जाती है अथवा अन्य समस्त मानकों को पूर्ण नहीं किया जाना पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय एवं निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा ऐसे संस्थानों की मान्यता समाप्त किये जाने के लिए संस्तुति / प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा। यदि ऐसे मामलों में विश्वविद्यालय एवं उच्च

